



11/11/22

पत्रावली पेश हुई। वसुन्धरा उपस्थित।  
वादी-प्रतिवादी के बार-बार व्यापारिक  
केस में आवाज की गमी, मगर गैर हाजिर  
बार-बार आवाज देने के पश्चात भी कोर्ट  
की उपस्थित नहीं होने से कारण उक्त  
प्रकरण के अन्त में परी-अन्त हाजिरी में  
स्वार्थित किया जाता है। वादी के निवेदन  
पर REOPEN/REHARER किया जा सकता  
है।

पत्रावली पेशात शुभा होकर, जज  
के कम होकर वाद जाला दाखिल होकर  
है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
खींचर